संख्याः- 03 /2022/230 /छिहत्तर-1-2022-25सम/2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ:दिनांक 08 फरवरी, 2022

विषयः- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-16/2021/948/76-1-2021-25सम/2019 दिनांक 19 मार्च 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किए जाने हेतु हेतु समस्त जनपदों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 मार्च 2021 के प्रस्तर-15(4) में यह व्यवस्था दी गयी है कि - सूचीबद्ध कार्यदायी संस्थाओं (Vendors) से समयबद्ध रूप से डी0पी0आर0 तैयार कराते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण किया जाना तथा शासनादेश संख्या-2064/ छिहत्तर-1-2020-25सम/2019 दिनांक 29.10.2020 के प्रस्तर-5 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना। रू0 2.00 करोड़ लागत तक की परियोजनाओं की डी0पी0आर0, डिजाइन/ड्राइंग की तकनीकी स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रदान की जायेगी।

रू0 2.00 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं का डी0पी0आर0, डिजाइन/ड्राइंग जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा अपनी संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जाएगा, जिनका परीक्षण राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत गठित तकनीकी प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाएगा। तकनीकी प्रकोष्ठ के टिप्पणियों के अनुसार संशोधनोंपरान्त डी0पी0आर0, अधीक्षण अभियन्ता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0 स्तर से संस्तुति एवं मुख्य अभियन्ता/यूनिट कोर्डिनेटर तकनीकी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। रू 5.00 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं के डी.पी.आर. की वेटिंग आई.आई.टी./एन.आई.टी./अन्य राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय विश्वविद्यालय से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। ड्राइंग/डिजाइन की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0 द्वारा प्रदान की जायेगी तथा जनपद स्तर पर परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के Quality Assurance Plan (QAP) का तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा परीक्षण किये जाने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0 द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3- इस संबंध में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावानुसार जल जीवन मिशन कार्यक्रम को लक्षित समय में पूर्ण किया जाना है, किन्तु उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 मार्च 2021 के प्रस्तर-15(4) में दी गयी व्यवस्था "-- जनपद स्तर पर परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाले सामग्री के गुणवत्ता आश्वासन नियोजन (Quality Assurance Plan)

का तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (एस0डब्लू0एस0एम0) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी" उक्त प्रक्रिया के दृष्टिगत योजनाओं के क्रियान्वयन में अत्यधिक समय लग रहा है।

4- अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2021 के प्रस्तर-15(4) को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

शासनादेश दिनांक 19 मार्च 2021 के प्रस्तर 15(4) की व्यवस्था	एतदद्वारा संशोधित एवं प्रस्तर-15(4) के स्थान पर प्रतिस्थापित व्यवस्था
सूचीबद्ध कार्यदायी संस्थाओं (Vendors) से समयबद्ध रूप से डी0पी0आर0 तैयार कराते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण किया जाना तथा शासनादेश संख्या-2064/ छिहत्तर-1-2020-25सम/2019 दिनांक 29.10.2020 के प्रस्तर-5 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना। रू0 2.00 करोड़ लागत तक की परियोजनाओं की डी0पी0आर0, डिजाइन/ड्राइंग की तकनीकी स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रदान की जायेगी। रू0 2.00 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं का डी0पी0आर0, डिजाइन/ड्राइंग जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा अपनी संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जाएगा, जिनका परीक्षण राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत गठित तकनीकी प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाएगा। तकनीकी प्रकोष्ठ के टिप्पणियों के अनुसार संशोधनोंपरान्त डी0पी0आर0, अधीक्षण अभियन्ता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0 स्तर से संस्तुति एवं मुख्य अभियन्ता/यूनिट कोर्डिनेटर तकनीकी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। रू 5.00 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं के डी.पी.आर. की वेटिंग आई.आई.टी./एन.आई.टी./अन्य राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय विश्वविद्यालय से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। ड्राइंग/डिजाइन की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, एस0डब्ल्यू0 एस0एम0 द्वारा प्रदान की जायेगी तथा जनपद स्तर पर परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली	सूचीबद्ध कार्यदायी संस्थाओं (Vendors) से समयबद्ध रूप से डी0पी0आर0 तैयार कराते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण किया जाना तथा शासनादेश संख्या-2064/ छिहत्तर-1-2020-25सम/2019 दिनांक 29.10.2020 के प्रस्तर-5 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना। रू0 2.00 करोड़ लागत तक की परियोजनाओं की डी0पी0आर0, डिजाइन/ड्राइंग की तकनीकी स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रदान की जायेगी। रू0 2.00 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं का डी0पी0आर0, डिजाइन/ड्राइंग जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा अपनी संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जाएगा, जिनका परीक्षण राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत गठित तकनीकी प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाएगा। तकनीकी प्रकोष्ठ के टिप्पणियों के अनुसार संशोधनोंपरान्त डी0पी0आर0, अधीक्षण अभियन्ता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0 स्तर से संस्तुति एवं मुख्य अभियन्ता/यूनिट कोर्डिनेटर तकनीकी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। रू 5.00 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं के डी.पी.आर. की वेटिंग आईआईटी/एनआईटी/अन्य राजकीय महाविद्यालयों /राजकीय विश्वविद्यालय से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। ड्राइंग/डिजाइन की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0 द्वारा प्रदान की जायेगी तथा जनपद स्तर पर परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के Quality Assurance Plan (QAP) का सम्यक परीक्षण किये जाने के उपरान्त राज्य

सामग्री के Quality Assurance Plan (QAP) का तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा परीक्षण किये जाने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0 द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (एस0डब्ल्यू0एस0एम0) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। यदि किसी कार्यदायी एजेन्सी द्वारा किसी निर्माता कम्पनी के किसी मेक का किसी जनपद के लिए विशिष्टियों हेतु गुणवत्ता आश्वासन नियोजन (Quality Assurance Plan) का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो, तो संबंधित कार्यदायी एजेन्सी के लिए उक्त निर्माता कम्पनी की संबंधित मेक का गुणवत्ता आश्वासन नियोजन (Quality Assurance Plan) उस एजेन्सी को आवंटित अन्य जनपदों हेतु इस प्रतिबंध के साथ मान्य होगा कि संबंधित निर्माता कम्पनी के संबंधित मेक का Buero of Indian Standrd (बी0आई0एस0) लाइसेंस कालातीत न हुआ हो/ निर्माता कम्पनी को किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड/डीबार न किया गया हो तथा सामग्री की विशिष्टियों में कोई परिवर्तन न हों।

5- शासनादेश संख्या-16/2021/948/76-1-2021-25सम/2019 दिनांक 19 मार्च 2021 के प्रस्तर-15(4) को उक्त बिन्दु संख्या-4 के अनुसार संशोधित/प्रतिस्थापित समझा जाए। उक्त शासनादेश में दी गयी शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 03 /2022/ 230(1)/छियत्तर-1-2022-25 सम/2019 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-3902/डब्लू-17/2021-22, दिनांक 31 जनवरी, 2022 के क्रम में।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
उप सचिव